भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1004
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

1004. **श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसमें क्या प्रगति हुई है, तथा पीएमएमवीवाई 2.0 के अंतर्गत दूसरी बेटी के लिए बढ़ा हुआ मातृत्व लाभ क्या है;
(ख) योजना के शुरू होने के बाद से अब तक लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और स्वीकृत किए गए व वितरित किए गए मातृत्व लाभों का राज्य-वार और कर्नाटक में जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमएमवीवाई 2.0 के अंतर्गत लाभ पाने वालों का राज्य-वार और कर्नाटक में जिला-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही दूसरी बेटी के लिए मातृत्व लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;
(घ) समय पर आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करने, आवेदनों के सुचारू प्रक्रमण और राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पात्र महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने, पंजीकरण और कवरेज को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के माध्यम से योजना के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई पहले का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (तेलंगाना को छोड़कर, जो पीएमएमवीवाई पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में है) में 01.01.2017 से 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से

लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे ₹5,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद 'जननी सुरक्षा योजना' के तहत स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को ₹6,000/- मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी ₹6,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका होना चाहिए।

पीएमएमवीवाई 2.0 के तहत भुगतान प्राप्त (01.04.2023 से 20.07.2026 तक) लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या, जिसमें दूसरा बच्चा बालिका के लिए मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या भी शामिल है; और योजना की शुरुआत से (01.01.2017 से 20.07.2026 तक) भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों एवं वितरित राशि का ब्योरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर चल रही प्रक्रिया के कारण लाभार्थी भुगतान का डेटा पीएफएमएस पोर्टल के डेटा पर आधारित केवल एक अनुमान है।

योजना की शुरुआत यानी 01.01.2017 से 31.10.2025 तक कर्नाटक में पीएमएमवीवाई के तहत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और उन्हें वितरित की गई राशि का जिला-वार ब्योरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई ऑनबोर्डिंग से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन में राज्य स्तर पर चल रही प्रक्रिया के कारण 01.11.2025 के बाद का जिला-वार भुगतान डेटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

समय पर आधार कार्ड-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान, आवेदनों की निर्बाध प्रक्रिया, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों सहित पात्र महिलाओं के बीच जागरूकता, पंजीकरण और कवरेज बढ़ाकर महिला स्वास्थ्य सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम और पहल की गई हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

I. पीएमएमवीवाई के लिए मार्च 2023 में एक नया पूरी तरह से कागज रहित पोर्टल शुरू किया गया था। पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार, कागज़ का फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पुराने पीएमएमवीवाई-सीएएस पोर्टल पर अपलोड करने होते थे। नई प्रणाली में कागज़ में आवेदन पत्रों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान किया गया है।

II. भुगतान, आधार ब्रिज पेमेंट्स सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि पीएमएमवीवाई पोर्टल पर आवेदकों के पहचान विवरण की पुष्टि के लिए आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फेशियल रिक्गनिशन सिस्टम के माध्यम से) की सुविधा है।

III. तीव्र प्रक्रिया के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते का डीबीटी-सक्षम होना आदि जैसी सभी अनिवार्य शर्तों की जांच की जाती है।

IV. सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए आवेदन की स्वीकृति और भुगतान स्थिति की जांच करने हेतु 'खोजें और स्थिति ट्रैक करें' की सुविधा उपलब्ध है।

V. सभी नागरिकों के लिए पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने हेतु शिकायत दर्ज करने और स्थिति का पता लगाने के लिए मॉड्यूल उपलब्ध है। यह मॉड्यूल शिकायत को सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजता है, जिससे समय की बचत होती है और त्वरित समाधान होता है।

VI. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए टोल-फ्री एवं बहुभाषी (16 भाषाएं) हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन के पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान आदि जैसे विभिन्न चरणों पर मुख्य 12 भाषाओं में से एक में एसएमएस प्राप्त होता है।

VII. पीएमएमवीवाई पोर्टल आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक एलजीडी अनुपालन योग्य है। राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक एलजीडी सीडिंग शुरू की गई है।

VIII. ओपन एपीआई में अन्य केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रालयों/विभागों के साथ डेटा साझा करने की स्वतंत्रता है।

IX. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड/परियोजना/ सेक्टर/आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस डेटा तैयार किया जा सकता है।

X. पीएमएमवीवाई का उपयोग, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा डेटा-केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।

XI. पोषण ट्रैकर पर गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओ के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की 'सूची' (Due List) बनाने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो के लिए 'संकल्प - महिला सशक्तिकरण केंद्र' योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार के विविध कार्यकलाप जैसे कि प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो पर जिंगल प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान तथा सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो फील्ड कार्यकर्ताओं के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकृत करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाता है।

अनुलग्नक I

"प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" विषय पर माननीय सांसद, लोक सभा श्री बी. वाई. राघवेंद्र द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1004 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमएमवीवाई के तहत लाभार्थियों को भुगतान और वितरित की गई राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएमवीवाई 2.0 के तहत लाभार्थियों को किया गया भुगतान (01.04.2023 से 20.07.2026 तक)	शुरुआत से अब तक भुगतान किए गए लाभार्थी (01.01.2017 से 20.07.2026 तक)	01.01.2017 से 20.07.2026 तक वितरित की गई राशि (₹ करोड़ में)
	अखिल भारतीय	**1,54,40,201**	**4,54,74,165**	**21,118.20**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,120	11,804	5.60
2	आंध्र प्रदेश	5,91,188	20,49,252	941.91
3	अरुणाचल प्रदेश	10,043	37,076	17.31
4	असम	7,36,961	16,64,788	778.73
5	बिहार	13,28,737	44,10,947	1,980.68
6	चंडीगढ़	15,289	47,155	21.03
7	छत्तीसगढ़	7,47,801	14,00,882	631.21
8	दिल्ली	2,51,299	6,13,343	284.98
9	गोवा	13,041	38,121	18.10
10	गुजरात	7,97,219	18,34,268	845.13
11	हरियाणा	2,91,206	10,25,754	499.58
12	हिमाचल प्रदेश	1,51,528	3,94,753	191.25
13	जम्मू और कश्मीर	3,08,979	6,13,693	262.82
14	झारखंड	3,98,902	11,71,183	543.23
15	कर्नाटक	13,61,655	31,88,401	1,544.08
16	केरल	4,28,572	13,15,426	615.97
17	लद्दाख	5,636	10,172	4.96
18	लक्षद्वीप	2,629	3,772	1.65
19	मध्य प्रदेश	22,78,097	51,32,095	2,468.76
20	महाराष्ट्र	15,11,067	46,48,237	2,148.85
21	मणिपुर	36,768	92,089	45.81
22	मेघालय	31,727	78,273	36.22

23	मिजोरम	16,053	51,115	24.90
24	नागालैंड	22,286	54,340	26.90
25	ओडिशा	2,45,384	2,45,384	76.68
26	पुद्दुचेरी	15,385	45,960	22.39
27	पंजाब	3,30,707	8,46,525	412.01
28	राजस्थान	13,36,060	31,48,895	1,482.84
29	सिक्किम	6,680	20,389	9.59
30	तमिलनाडु	6,32,341	21,72,710	1,118.74
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	13,820	30,905	14.56
32	त्रिपुरा	70,293	1,67,635	77.00
33	उत्तर प्रदेश।	12,27,603	67,95,666	3,004.74
34	उत्तराखंड	2,20,672	4,74,699	220.75
35	पश्चिम बंगाल	454	16,38,459	739.27

अनुलग्नक II

"प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" विषय पर माननीय सांसद, लोक सभा श्री बी. वाई. राघवेंद्र द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1004 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

कर्नाटक में 01.01.2017 से 31.10.2025 तक पीएमएमवीवाई के तहत लाभार्थियों को भुगतान और वितरित की गई राशि*

क्र.सं.	जिले	**लाभार्थियों को भुगतान किया गया**	**वितरित राशि (₹ करोड़ में)**
	संपूर्ण कर्नाटक	**30,63,796**	**1,495.92**
1	बागलकोट	1,14,929	57.36
2	बल्लारी	1,34,362	65.07
3	बेलगावी	2,60,365	127.85
4	बेंगलुरु ग्रामीण	50,599	24.45
5	बेंगलुरु शहरी	2,32,498	111.94
6	बीदर	99,554	49.10
7	चामराजनगर	41,879	20.19
8	चिक्कबल्लपुर	62,195	30.36
9	चिक्कामगलुरु	52,966	25.72
10	चित्रदुर्ग	87,722	42.53
11	दक्षिण कन्नड़	1,06,852	51.71
12	दावणगेरे	97,854	46.96
13	धारवाड़	1,04,243	49.99
14	गडग	58,759	28.56
15	हासन	83,446	40.40
16	हावेरी	87,398	42.66
17	कलबुर्गी	1,95,961	98.34
18	कोडागू	21,832	10.56
19	कोलार	76,469	36.96
20	कोप्पल	84,348	40.46
21	मांड्या	86,231	41.97
22	मैसूर	1,32,777	63.85

23	रायचूर	1,05,012	51.76
24	रामानगर	50,926	24.78
25	शिवमोगा	90,073	43.96
26	तुमकुरु	1,48,815	73.40
27	उडुप्पी	56,415	27.63
28	उत्तर कन्नड़	92,034	46.56
29	विजयनगर	22,199	10.52
30	विजयपुरा	1,33,386	65.72
31	यादगीर	91,697	44.61

* एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई ऑनबोर्डिंग से जुड़े एपीआई को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया राज्य स्तर पर चल रही है, इसलिए 01.11.2025 से ज़िले-वार भुगतान डेटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।
